न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 08 / 2021 एल आर एक्ट (GCMS No 2021/9)
अनवान दर्शन सिंह बनाम स्टेट, रांझा सिह
अपील विरूद्व आदेश– तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी दिनांक 17.03.2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
13.01.2022	पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित । रेस्पोडेन्ट सं. 2 कें अभिभाषक ने दिनांक 20.10.2021 को प्राथमिक कानूनी आपत्ति अन्तर्गत सैक्शन 151 सी. पी.सी पेश कर अपील खारिज करने का निवेदन किया । वकील अपीलान्ट ने दिनांक 07.12.2021 को जबाव कानूनी आपत्ति पेश कर रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा प्रस्तुंत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 कें अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि तहसीलदार टिब्बी का आदेश दिनांक 17.03.2021 अन्तरिम आदेश है, फाईनल आदेश नही है। इस कारण उक्त आदेश के विरूद्व अपील पेश नही हो सकती है। उक्त आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन पेश होगी। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में , RRD 1994 पृष्ठ 38, RRD 1993 पृष्ठ 720, RRD 1982 पृष्ठ 149, RRD 1976 पृष्ठ 423, RRD 1994 पृष्ठ 544, RRD 1994 पृष्ठ 130, RRD 1973 पृष्ठ 13, का न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.03.2021 अंतिम रूप से विनश्चयं करते हुए निर्णय पारित किया है तथा निर्णय में अंतिम पहरा में लिखा है कि निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। इस प्रकार यह निर्णय अंतिम निर्णय की श्रेणी में है न की अंतरिम आदेश की श्रेणी में। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अंतिम निर्णय की अपील धारा 75 लेड रेवेन्यू एक्ट के तहत इसी न्यायालय में पेश होगी। सिविल न्यायालय ने इंतकाल की कार्यवाही को स्थगित करने का कोई आदेश नही दिया है। अतः रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में , RRD 2009 पृष्ठ 794, RRD 1987 पृष्ठ 538, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। ....लगातार..................... अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	

.....................लगातार.....................

हमने अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार टिब्बी के आदेश दिनांक 17.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, उक्त आदेश के द्वारा तहसीलदार टिब्बी ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. को स्वीकार करते हुए अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में सिविल न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित की है, साथ ही सिविल न्यायालय के निर्णय उपरान्त किसी भी पक्षकारान का अनुतोष वांछित हो तो सम्बधित पक्षकारान पत्रावली पुनः पेशी मे लिये जाने का आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र मानते हुए पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की गई है, तहसीलदार टिब्बी के समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तकरण के प्रार्थना पत्र के साथ ही सिविल न्यायालय में उक्त वसीयत के सम्बन्ध नियमित वाद विचाराधीन के कारण वाद बहुलता को रोकने हेतु पारित आदेश गुणावगुण पर अंतिम निर्णय की श्रेणी में नही आता है। अतः प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 2 बाबत कानूनी आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट संधारण योग्य नही होने के आधार पर खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर